राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1547 दिनांक 7/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार सेड़वा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 285 / 12 अन्तर्गत धारा 111,128,136 भू.रा.अ. अनवान जुंझाराम वगैरा कानाराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/6/17 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 285/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 111,128,136 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – **1.जुझाराम 2.भैराराम 3.पाबूराम पि. चेतनजी**
4.गवरी बेवा चेतनजी, जाति जाट
निवासी आदर्श केकड़, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.कानाराम 2.रूपाराम पि. शेराराम 3.चनणी पत्नि गुमनाराम
4.जमना पत्नि रामाराम 5.खेराजराम फौत के का.मु. :–
1.पुरखाराम 2.जोगाराम 3.सोनाराम पि.खेराजराम
जाति जाट, निवासी केकड़, तहसील सेड़वा।
6.शाखा प्रबन्धक भू.वि.बै.बालोतरा
7.शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक धोरीमन्ना
8.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्ता – प्रार्थीगण वकील – **श्री बलवंतसिंह**
विप्रार्थीगण वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**

निर्णय

दिनांक :– 30/6/17

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि मौजा केकड़ नया गांव आदर्श केकड़ खसरा सं. 409, 347, 407, 408 रकबा 290.11 बीघा का पर्चा लगान मुखिया खानदानकर्ता का जारी हुआ था। उसके बाद में कर्ताखानदान ने 102.00 बीघा भूमि विप्रार्थीगण को बेचान करने के बाद 186.18 बीघा पर कब्जा काश्त आ रहा है। प्रार्थीगण के मुखिया के विप्रार्थी सं. 1 से 5 को बेचान से राजस्व दस्तावेजों में नक्शा ट्रेस में खसरा सं. 962/409 एवं खसरा सं. 961/409 क्रमशः 53.04 बीघा विप्रार्थी सं. 5/1 से 5/3 के पिता खेराजराम जो फौत हो चुके है व खसरा सं. 961/409 रकबा 42.00 बीघा का राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज सही हुआ। किन्तु अधीनस्थ कर्मचारियों ने ट्रेस नक्शा में तरमीम करते समय कब्जा काश्त से रकबा 93.04 बीघा, 42.00 बीघा की जगह नक्शा ट्रेस में नहीं कर अधिक तरमीम नक्शा ट्रेस में करने से विवाद होने से प्रार्थीगण के खसरा सं. 409 नया खसरा सं. 959/409, 960/409, 962/409, 961/409 सम्पूर्ण नक्शा की ट्रेस मौजा केकड़ नया

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

गांव आदर्श केकड़ की नेखमबन्दी करवाने के बाद रकबा अनुसार नक्शा में तरमीम शुद्धिकरण करवाने के वैध अधिकारी है। जिसे हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से श्री जगदीश पोटलिया ने वकालतनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प केकड़ में पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,136 भू.रा.अ. स्वीकार किया जाकर मौजा केकड़ नया गांव आदर्श केकड़ के खसरा सं. 409 नया खसरा सं. 959/409, 960/409, 962/409, 961/409 की भूमि नापकर सलंग्न नक्शा अनुसार तरमीम-दुरस्त करते हुए नेखमबन्दी करने का आदेश तहसीलदार को दिया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प में केकड़ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

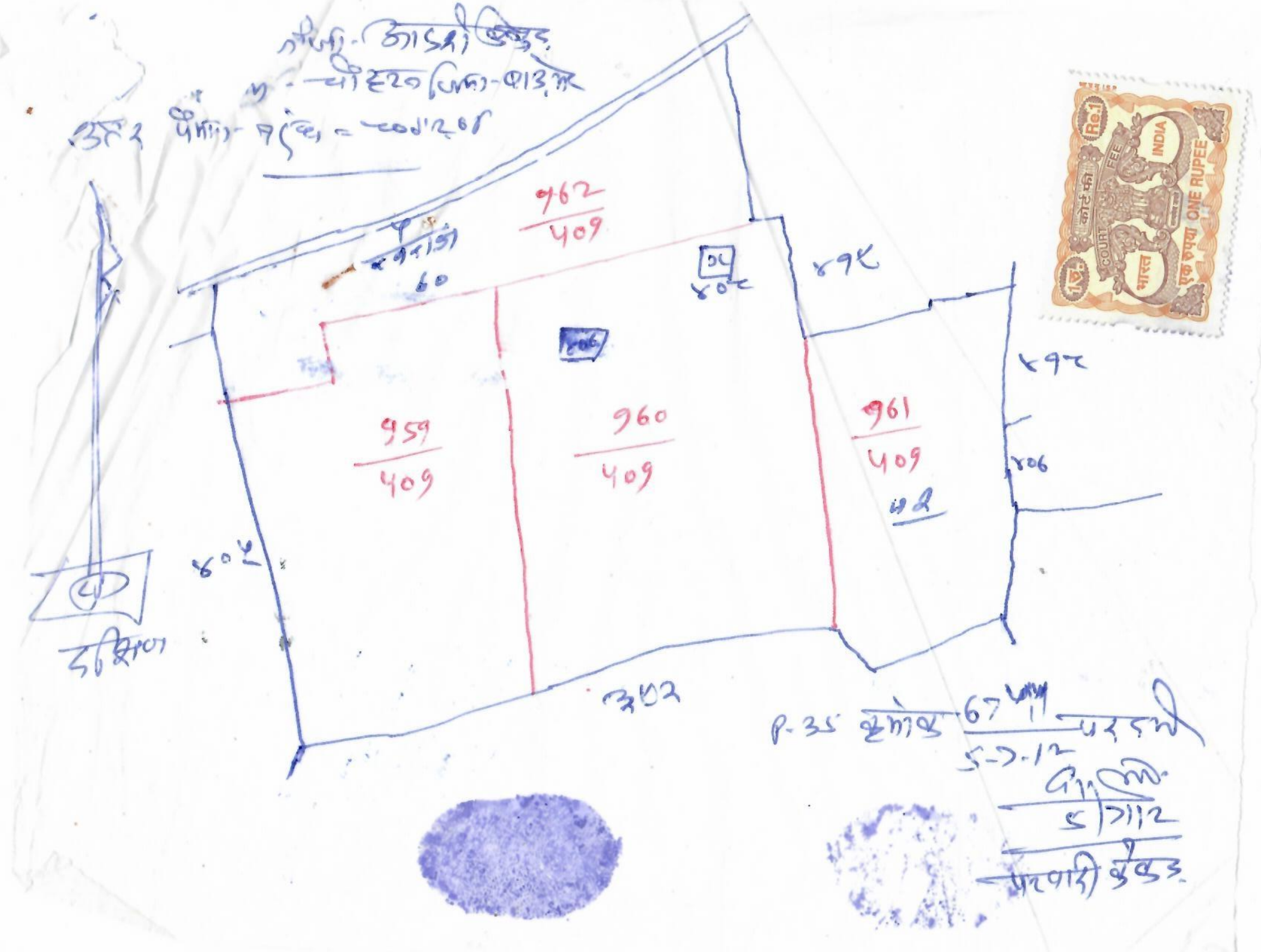
962/409
959/409
960/409
961/409
P-35
67
5-7-12
COURT FEE
INDIA
Re.1
ONE RUPEE